रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 18 दिसम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 27, 1943 शक संवत्) [संख्या 51

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	907–913	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1659–1680	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	91–93	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	901–922	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-10

नियुक्ति

02 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1980/सत्ताइस-10-21-100(05)/21—सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 40/01/ई-4/2019-20 टी0सी0-1, दिनांक 25 जून, 2021, संख्या 83/01/ई-4/2019-20 टी0सी0-1, दिनांक 26 अगस्त, 2021 एवं सं0 127/01/ई-4/2019-20टी0सी0-1, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा सम्यक् रूप से चयनित/संस्तुत कुल 37 अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थियों को, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय चिकित्सा परिषद से कराये जाने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने तथा उनके आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रमाणीकरण प्रपत्रों में उल्लिखित प्रवासी अवधि के स्थानों से सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/अधीक्षकों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट सन्तोषजनक पाये जाने पर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के नियमित पद पर सादृश्य वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 (सादृश्य मैट्रिक्स लेवल-10) (पुराना वेतनमान रु0 15,600-39,100 वेतन बैंड-3 तथा ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित सूची के अनुसार नियमित नियुक्ति/पदस्थापना किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	चयन क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम	अनुक्रमांक जन्म तिथि	पता	पदस्थापना/तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री—			
1	1	शैलेन्द्र कुमार वर्मा मंत राम वर्मा	108041 10-08-1996	मोहल्ला अमेदा बरवां बीठलपुर, ग्राम अमेदा, पोस्ट शादीपुर, थाना इब्राहिमपुर, तहसील टांडा, जनपद अम्बेडकरनगर, पिन-224230	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
2	2	हेमन्त कुमार नरेश सिंह	117532 07-07-1994	ग्राम बादरपुर, पोस्ट राजघाट, तहसील डिबाई, जनपद बुलन्दशहर, पिन-202393	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
3	3	शिवांगी यादव बलवीर सिंह	056682 18-11-1994	एल0आई0जी0 185, फेज-2 तात्यांठोपे नगर, गुजैनी, जनपद कानपुर (अर्बन) पिन-208022	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध

1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री–			
4	4	आनन्द कुमार महेन्द्र कुमार	039768 12-08-1995	ग्राम एवं पोस्ट-कोलहुई बाजार, जनपद महराजगंज, पिन-273162	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
5	5	प्रियांशी सिंह जुगेन्द्र सिंह	033998 01-01-1998	572/1 बाबू लाल मिल के पीछे, सिविल लाइन्स, जनपद-झांसी पिन-284001	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
6	7	संजय सिंह वर्मा सुरेश सिंह वर्मा	002041 08-07-1994	ग्राम पुरा भगतन, पोस्ट-पुरा गुमान सिंह बाह, जनपद आगरा पिन-283104	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
7	8	अजय विक्रम शिव शंकर	017647 02-02-1989	मोहल्ला गांधीनगर, पोस्ट-कादिपुर, जनपद सुल्तानपुर पिन-228145	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
8	9	साक्षी मौर्या दीनानाथ मौर्या	094040 03-10-1994	ग्राम जदौपुर, पोस्ट-पिपराईच, जनपद गोरखपुर पिन-273152	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
9	10	लक्ष्मी देवी रविन्द्र कुमार	050534 21-10-1996	ग्राम एवं पोस्ट-सुभानखेड़ा, जनपद हरदोई पिन-241305	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
10	13	शुभांगी नन्दिनी प्रमोद कुमार रैकवार	122002 22-07-1997	1657, बड़ा गांव गेट के बाहर, उद्यान उपनिदेशक, कार्यालय के सामने, ददीयापुर जनपद झांसी पिन-284002	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
11	15	मनीष कस्तवार रमेश चन्द्र कस्तवार	089174 09-03-1989	206, पुष्पांजलि क्लाउडस वैली, नगलाकाली, देवरी रोड के निकट जनपद आगरा पिन-282009	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
12	17	अभिषेक राय कपूर चन्द्र राय	081846 05-06-1993	ग्राम जखाव, पोस्ट-गोपीगंज, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही (सन्त रविदास नगर) पिन-221303	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
13	19	सुनील पासवान राजुल प्रसाद	102663 28-02-1994	ग्राम व पोस्ट–जंगल छावाड़ी, थाना ,खोरबार, जनपद गोरखपुर पिन-273010	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध

1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री–			
14	20	मिलिंद प्रिया हरचरन	034995 12-07-1992	मकान नं0 30 ग्राम तहरपुर, पोस्ट बबीना, थाना कदौरा, जनपद जालौन पिन-285203	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
15	22	अरूण कुमार सुशील कुमार	067389 04-04-1997	ग्राम रैसना, पोस्ट अब्दुल्लापुर, जनपद मेरठ पिन-250001	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
16	24	अमित सिंह राम स्वरूप	023668 01-06-1995	ग्राम फिरोजपुर सीलोनी, पोस्ट मरेहरा, जनपद एटा पिन-207401	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
17	25	दिलीप कुमार विमल मुन्नालाल विमल	118331 15-07-1996	ग्राम मोहनपुर, पोस्ट बस्तोई, जनपद हाथरस पिन-204215	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
18	26	अजय कुमार दिवाकर अशोक कुमार दिवाकर	005527 25-08-1995	बार वाली गली, कृष्णा टेलर, नारीपुरा, जनपद आगरा पिन-282001	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
19	27	विनय कुमार राधे श्याम	016005 21-03-1993	सी–114165, कुलराघाट, जनपद गोरखपुर पिन-273008	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
20	28	दिलीप कुमार, हर नारायण अनुरागी	119131 05-05-1995	चरखारी रोड, न्यू बस्ती, नियर बम्बारथ, जनपद हमीरपुर पिन-210431	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
21	29	अनुराग प्रभाकर पवन कुमार	032989 13-09-1995	375, दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर पिन-203207	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
22	30	विशाल राज राजबहादुर सिंह	065485 15-09-1997	खुशालपुर मकान नं0 168, पुरानी बस्ती नियर छोटा शिव मन्दिर पोस्ट एवं थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद पिन-244001	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
23	31	अक्षय कुमार विनोद कुमार	069107 21-10-1996	मकान नं0 31 गुजैनी गांव, पोस्ट मर्दनपुर, उद्योगनगर, जनपद कानपुर पिन-208022	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
24	33	सचेन्द्र गौतम कैलाश गौतम	063640 29-1-1996	ग्राम बल्लमपुर, पोस्ट 33 बी0एन0पी0ए0सी0, राजगढ़, जनपद झांसी पिन-284135	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध

2–उपर्युक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति/पदस्थापना निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी :

1–पदस्थापित नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक वर्ष के आधारभूत प्रशिक्षण पर रखा जायेगा, जिसकी व्यवस्था प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अलग से की जायेगी। इन्हें अनुमन्य वेतन के साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य यथादेय भत्ते भी देय होंगे।

2–यह नियुक्तियां नितान्त अस्थायी हैं। यदि किसी अभियन्ता के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसा विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही बिना पूर्वाग्रह के की जायेगी।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे सम्बन्धित पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

4–अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना/सम्बद्धता के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

5–अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

6–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, इन अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों इत्यादि की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों के साथ शासन एवं प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे :

(i) केवल एक जीवित पत्नी होने का घोषणा पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज फोटो की दो प्रतियां।

02 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1981/सत्ताइस-10-21-100(05)/21–सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 40/01/ई-4/2019-20 टी0सी0-1, दिनांक 25 जून, 2021, संख्या 83/01/ई-4/2019-20 टी0सी01, दिनांक 26 अगस्त, 2021 एवं सं0 127/01/ई-4/2019-20टी0सी0-1, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा सम्यक् रूप से चयनित/संस्तुत कुल 37 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थियों को, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय चिकित्सा परिषद से कराये जाने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने तथा उनके आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रमाणीकरण प्रपत्रों में उल्लिखित प्रवासी अवधि के स्थानों से सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/अधीक्षकों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट उपलब्ध न होने पर निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 04/21/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29.04.2021 में निहित प्राविधानों के अनुरूप पाये जाने पर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के नियमित पद पर सादृश्य वेतनमान रु0 56,100-

1,77,500 (सादृश्य मैट्रिक्स लेवल-10) (पुराना वेतनमान रु0 15,600-39,100 वेतन बैंड-3 तथा ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	चयन क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम	अनुक्रमांक जन्म तिथि	पता	पदस्थापना / तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री–			
1	6	मनोज सोनकर विजय बहादुर सोनकर	128154 12-07-1994	मोहल्ला नरौली, पोस्ट सदर, जनपद आजमगढ़, पिन-276001	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
2	11	संदीप कुमार हरिमोहन दोहरे	108560 04-11-1996	ग्राम कूदरा बुजुर्ग, पोस्ट–पाचीपुरी, तहसील कोंच, जनपद जालौन, पिन-285205	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
3	12	वीरेन्द्र कुमार गौतम हरिनाथ राम	049965 08-10-1994	ग्राम अवध, पोस्ट सरनवां, जनपद आजमगढ़, पिन-276202	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
4	14	नितिन कुमार राजेन्द्र प्रसाद	092876 06-10-1989	41 / 1एच0ए0एल0 कालोनी, रामादेवी, थाना चकेरी, तहसील एवं जनपद कानपुर, पिन-208007	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
5	16	निधि बाबू लाल	049736 08-06-1995	166 / ए, छिबौली शरीला, चौखाटा, जनपद हमीरपुर, पिन-210432	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
6	18	रूचिका गुप्ता सन्तोष कुमार गुप्ता	055420 25-03-1993	माधौसिंह बाजार, पोस्ट औराई, जनपद भदोही (सन्त रविदास नगर), पिन-221301	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
7	21	बरून प्रताप महेन्द्र प्रताप	080310 11-01-1997	शिव मन्दिर, नहर साइड, कोयलारी बुजुर्ग, वाया रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, पिन-276207	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
8	23	पीयूष कुमार दिनेश कुमार	034617 08-10-1993	मोहल्ला खेड़ा टाउन एवं पोस्ट लखाना, जनपद इटावा, पिन-206127	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
9	32	संजीव कुमार सहदेव रूपचन्द्र सिंह	008941 01-08-1993	मोहल्ला ताकियागढ़ी पूर्वी, पोस्ट नेहतौर, जनपद बिजनौर, पिन-246733	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध
10	34	अनिल कुमार गौतम रामलाल	061228 01-05-1990	ग्राम एवं पोस्ट अर्थपुर, तहसील मिश्रिख, जनपद सीतापुर, पिन-261401	कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध

2–उपर्युक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों की औपबन्धिक नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

1–पदस्थापित नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक वर्ष के आधारभूत प्रशिक्षण पर रखा जायेगा, जिसकी व्यवस्था प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अलग से की जायेगी। इन्हें अनुमन्य वेतन के साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य यथादेय भत्ते भी देय होंगे।

2–यह नियुक्तियां नितान्त अस्थायी हैं। यदि किसी अभियन्ता के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही बिना पूर्वाग्रह के की जायेगी।

3–सम्बन्धित अभ्यर्थी औपबन्धिक नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे सम्बन्धित पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

4–अभ्यर्थियों को अपना कार्यभार, आदेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। जो अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त कर दिया जायेगा।

5–अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना/सम्बद्धता के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

6–अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

7–संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता/यांत्रिक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके सम्बन्ध में कोई विधि विरूद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

8–यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वः सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी जाती है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणामस्वरूप आपराधिक/विधि कार्यवाही भी की जायेगी।

9–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, इन अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों इत्यादि की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों के साथ शासन एवं प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे :

(i) केवल एक जीवित पत्नी होने का घोषणा-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित, अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज फोटो की दो प्रतियां।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 दिसम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 27, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

October 01, 2021

No. 73--From the date of taking over charge, Sri Vijay Krishna Jaiswal, (Emp. no. 1542), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12, as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to retirement of Sri Mohd. Irfan Khan.

No. 74--From the date of taking over charge, Sri Abhishek Ranjan Srivastava, (Emp. no. 6916), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11, as per 7th Pay Commission in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Vijay Krishna Jaiswal.

(The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts to their original posts and result of Writ Petition (s), filed if any).

No. 75--From the date of taking over charge, following Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar, in the pay scale of Level-13 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	3451	Sri Diwakar Gupta

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrar shall undergo four and half months training, particularly

with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J. T. R. I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J. T. R. I., shall certify whether such Joint Registrar has successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J. T. R. I.).

No. 76--From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Deputy Registrar, in the pay scale of Level-12 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
		S/Sri/Smt.-
1	4058	Rajesh Kumar Sinha
2	2656	Mohd. Rizwan, *Lko*.
3	4016	Mamta Dwivedi

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Raj Kumar Pandey (Emp. no. 3341), Joint Registrar, posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad; S/Sri Ajay Kumar Srivastava (Emp. no. 4033) and Om Bahadur Singh (Emp. no. 4050), both Deputy Registrar, posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing Salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad, Sri Diwakar Gupta (Emp. no. 3451), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Rajesh Kumar Sinha (Emp. no. 4058) and Smt. Mamta Dwivedi (Emp. no. 4016), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar).

By order of the Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
I/c Registrar General.

No. 77--From the date of taking over charge, Sri Shatrughan Tripathi, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. no. 3329), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court, Allahabad, in the pay scale of P. B.-4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7th Pay Commission in the vacancy caused due to retirement of Sri Vijay Kumar Mandhyan.

No. 78--From the date of taking over charge, Sri Sunil Kumar Kanaujiya, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. no. 6043), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court, Allahabad, in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12 Revised as per 7th Pay Commission in the vacancy caused due to promotion of Sri Shatrughan Tripathi.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, S/Sri Amit Kumar Bajpai (Emp. no. 7587), Mahendra Kumar Kashyap (Emp. no. 7528), Rajesh Kumar Vishwakarma (Emp. no. 7501) and Ashish Sahai (Emp. no. 7509), all Bench Secretaries Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow who have been permitted to draw salary from High Court Allahabad shall draw Salary from High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
I/c Registrar General.

October 04, 2021

No. 79--From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in the pay scale Level-11 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		S/Sri/Smt.-
1	6086	Bishnu Kumar Ghosh
2	7002	Suresh Kumar
3	6099	Piyush Kant
4	7015	Pashupati Nath Verma
5	7016	Smt. Neelam Gupta
6	4455	Chandra Narayan Dwivedi
7	5172	Chandra Shekhar Rawat
8	4464	Shyam Kishore, *Lko*.
9	7020	Mohd. Azeem Khan
10	2939	Km. Vandana Srivastava, *Lko*.
11	7023	Smt. Mamta Shukla
12	7025	Ashfaq Ahmad Siddiqui
13	2942	Ashish Shukla, *Lko*.
14	7026	Smt. Tashmeem
15	5202	Shiv Prakash Tewari
16	4458	Jagat Pal Gupta
17	2943	Sanjay Verma, *Lko*.
18	7029	Ms. Nivedita Dhar

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		S/Sri/Smt.-
19	7022	Prabhat Mathur
20	7010	Km. Sheelu Srivastava, *Lko*.
21	7011	Ashish Baijal
22	7018	Ramesh Chandra Dwivedi
23	2944	Abhishek Kumar, *Lko*.
24	7068	Arvind Kumar Singh Yadav
25	7030	Anil Kumar
26	7087	Kamla Singh Kushwaha
27	7086	Santosh Kumar
28	2946	Prabhat Kumar Shukla, *Lko*.

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, S/Sri Aftab Alam (Emp. no. 7006), Harish Kant (Emp. no. 2919), and Rajendra Prasad (Emp. no. 2920), all Assistant Registrars, posted at Lucknow Bench, of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. S/Sri Sanjay Verma (Emp. no. 2943), Km. Sheelu Srivastava (Emp. no. 7010), Abhishek Kumar (Emp. no. 2944) and Prabhat Kumar Shukla (Emp. no. 2946), all posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar).

By order of the
Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

October 11, 2021

No. 80--Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 11-10-2021, Sri Brijesh Kumar (Emp. no. 1015), holding the *Ex-Cadre* Post of Chief Private Secretary in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice, is hereby repatriated to his original post as Registrar-cum-Principal Private Secretary in the Private Secretary Cadre with immediate effect.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.) Registrar General.*

No. 81--Consequent upon repatriation of Sri Brijesh Kumar, Chief Private Secretary to his original post of Registrar-cum-Principal Private Secretary, Moinul Hasan, Lko. (Emp. no. 2517), Registrar-cum-Principal Private Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby repatriated to the post of Joint Registrar-cum- Private Secretary Grade-IV, with immediate effect.

No. 82--Consequent upon repatriation of Sri Moinul Hasan, to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, Sri Irshad Ahmad Siddiqui (Emp. no. 1455), Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, is hereby repatriated to the post of Deputy Registrar-cum- Private Secretary Grade-III, with immediate effect.

No. 83--Consequent upon repatriation of Sri Irshad Ahmad Siddiqui, to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, Sri Vijay Krishna Jaiswal (Emp. no. 1542), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby repatriated to the post of Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II, with immediate effect.

No. 84--Consequent upon repatriation of Sri Vijay Krishna Jaiswal, to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, Sri Abhishek Ranjan Srivastava (Emp. no. 6916), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby repatriated to the post of Private Secretary Grade-I, with immediate effect.

By order of the
Hon'ble Court,
(*Sd.) Registrar General.*

October 20, 2021

No. 85--From the date of taking over charge, Sri Bal Gopal Singh, (Emp. no. 1050), holding the cadre post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, at High Court, Allahabad, is hereby appointed on the ex-cadre post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice at Allahabad. He will work in his own pay scale.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

October 22, 2021

No. 86--From the date of taking over charge, Sri Vijay Krishna Jaiswal (Emp. no. 1542), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 as per 7th pay Commission, on account of vacancy occurred due to handing over the charge of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, by Sri Bal Gopal Singh upon his appointment on the *ex-cadre* post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in Secretariat of Hon'ble the Chief Justice.

No. 87--From the date of taking over charge, Sri Abhishek Ranjan Srivastava (Emp. no. 6916), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 as per 7th pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Vijay Krishna Jaiswal.

(The above promotions, shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* post to their original posts and result of Writ Petition (s), filed if any).

By order of the
Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

13 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 3532/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2021-22–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	पहरा	246	0.130	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम विभाग को नवीन औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु।
					247	0.243		
					248	0.344		
					249	0.267		
					250	1.137		
					251-क	0.097		
					251-ख	0.004		
					252	0.142		
					253	0.632		
					254	0.955		
					258	1.546		
					260	0.154		
					262	4.763		
					263	0.020		
					264	0.454		
					265	0.109		
					268	0.121		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	पहरा	269	0.105	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम विभाग को नवीन औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु।
					270	0.559		
					271-ग मि0	1.262		
					279	0.182		
					1042	0.093		
					1043/1	1.368		
					1044	0.049		
					1045	0.052		
					1046	0.259		
					1047	0.036		
					योग. .	**15.083**		

14 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 3541/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2021-22–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी	चरखारी	अकठौहा	2551-ख	0.130	श्रेणी-5-1- कृषि योग्य भूमि (नवीन परती)/5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	खेल विभाग को स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना हेतु।
					2527-क	0.452		
					2548-क-मि0	0.330		
					2533-मि0	1.292		
					2526	0.828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी	चरखारी	अकठौहा	2541-छ	0.376	श्रेणी-5-1- कृषि योग्य भूमि (नवीन परती)/5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	खेल विभाग को स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना हेतु।
					2520-क	0.888		
					2541-क	0.316		
					2520-ख-मि0	0.156		
					2521-क	0.062		
					2522	0.060		
					2524	0.256		
					2529	0.084		
					2520-ग	0.731		
					2534-क	2.309		
					2534- ख	0.799		
					2535	0.368		
					2539	0.124		
					2541/3मि0	0.809		
					2541/3मि0	0.809		
					2541/3मि0	0.809		
					2541/3मि0	0.809		
					2541/3मि0	0.809		
					2527-ख	0.048		
					2528-मि0	0.384		
					2543-मि0	0.282		
					2547-क	0.555		
					2547-ख	0.028		
					2541-ग-मि0	2.427		
					2546	0.725		
					योग. .	**18.055**		

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी, महोबा।

बाँदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

18 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 509(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) तथा शासनादेश दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अनुराग पटेल, जिलाधिकारी, बाँदा, प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम दुरेडी तहसील व जिला बॉदा के श्रेणी-6-1 नाला खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 1025 रकबा 0.061 हे0 व श्रेणी-5-3-ड़0 बंजर खाते में निम्नॉकित गाटा संख्या 1046 रकबा 0.018 हे0, गाटा संख्या 1051 रकबा 0.033 हे0 एवं श्रेणी-6-4 भीटा बधान खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 1054 रकबा 0.131 हे0 कुल 04 किता रकबा 0.243 हे0 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु निर्धारित सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य दर पर दिये जाने हेतु दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रस्तावित भूमि जिसकी मालियत रु0 5,34,600.00 (पांच लाख चौतीस हजार छः रुपये) मात्र पर दिये जाने हेतु गांव सभा की भूमि इस शर्त के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेगें तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बॉदा	भुरेड़ी	भुरेड़ी	6-1 नाला खाता संख्या 543 5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 540 6-4 भीटा बंधान खाता संख्या 551	1025 1046 1051 1054	0.061 0.018 0.033 0.131	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु
						योग. .	**0.243**	

सं0 510(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) तथा शासनादेश दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं,

अनुराग पटेल, जिलाधिकारी, बाँदा, प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम दुरेडी तहसील व जिला बॉदा के श्रेणी-5-1 नवीन परती गाटा संख्या 325 रकबा 0.070 हे0 व श्रेणी-6-2 रास्ता गाटा संख्या 329 रकबा 0.184 हे0, श्रेणी-6-1 नाला गाटा संख्या 316 रकबा 0.026 हे0 व गाटा संख्या 433 रकबा 0.230 हे0 कुल 04 किता रकबा 0.510 हे0 पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु निर्धारित सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य दर पर दिये जाने हेतु दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रस्तावित भूमि जिसकी मालियत रु0 10,71,000.00 (दस लाख इकहत्तर हजार रुपये) मात्र पर दिये जाने हेतु गांव सभा की भूमि इस शर्त के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेगें तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नही होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बॉदा	दुरेड़ी	दुरेड़ी	5-1 नवीन परती खाता संख्या 1946	325	0.070	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु
						329	0.0184	
					6-2 रास्ता खाता संख्या 1559	316	0.026	
						433	0.230	
					6-1 नाला खाता संख्या 1953			
						योग. .	**0.510**	

अनुराग पटेल,
जिलाधिकारी बॉदा।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञायें

11 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1256/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021–उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 57/र0का0-मोदीनगर/विनिमय/2021, दिनांक 15 सितम्बर, 2021 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा 2 सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद, ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित चकमार्ग के खाते में दर्ज खसरा संख्या 985/0.0380 हे0, खसरा संख्या 440/0.0360 हे0, खसरा संख्या 669/0.0190 हे0 एवं नाली के खाते में दर्ज खसरा संख्या 548/0.120 हे0, कुल खसरा नम्बरान 04 कुल रकबा 0.01050 हे0 के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन किये जाने व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे) के नाम दर्ज ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील

मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खसरा संख्या 547/0.01050 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूं–

1–उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रु0 9,18,750.00 (नौ लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2–उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि का चकमार्ग एवं नाली के रूप में तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि स्थित ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में नियमानुसार प्रक्रिया अन्तर्गत जमा कराने के उपरांत सचिव पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3–लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी मोदीनगर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4–उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

27 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1285/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021–उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 247/र0का0-मोदीनगर/विनिमय/2021, दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा 2 सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद, ग्राम युसुफपुर ईसापुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित नाली के खाते में दर्ज खसरा संख्या 54 रकबा 0.0020 हे0 (नाली), खसरा संख्या 44 रकबा 0.0050 हे0 (नाली) व खसरा संख्या 146 रकबा 0.0090 हे0 (चकमार्ग), कुल खसरा नम्बरान 03 कुल रकबा 0.0160 हे0 भूमि का विनिमय डीएफसीसीआईएल द्वारा ग्राम युसुफपुर ईसापुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की अर्जित भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.0032 हे0 व 45 रकबा 0.0028 हे0 व 108 रकबा 0.0409 हे0 कुल खसरा नम्बरान 03 कुल रकबा 0.0469 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूं–

1–उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रु0 2,93,125.00 (दो लाख तिरानवे हजार एक सौ पचीस रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2–उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम युसुफपुर ईसापुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की भूमि का चकमार्ग एवं नाली के रूप में तथा डीएफसीसीआईएल को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि स्थित ग्राम युसुफपुर ईसापुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में नियमानुसार प्रक्रिया अन्तर्गत जमा कराने के उपरांत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3—लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी मोदीनगर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4—उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

सं0 1286/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021—उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 246/र0का0-मोदीनगर/2021, दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा 2 सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद, ग्राम औरंगाबाद फजलगढ़, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित चकमार्ग के खाते में दर्ज खसरा संख्या 315 रकबा 0.0000 हे0 (चकमार्ग), 306 रकबा 0.0086 हे0 (नाली) 447 रकबा 0.0103 हे0 (नाली) 40 रकबा 0.0100 हे0 (नाली), 31 रकबा 0.0190 हे0 (चकमार्ग) 30 रकबा 0.0095 हे0 (नाली) 319 रकबा 0.0064 हे0 (नाली) 329 रकबा 0.0069 हे0 (नाली), कुल खसरा नम्बरान 08 कुल रकबा 0.0707 हे0 भूमि का विनिमय डीएफसीसीआईएल द्वारा ग्राम भटजन, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की अर्जित भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 0.0020 हे0, 318 रकबा 0.0067 हे0, 322 रकबा 0.0023 हे0, 330 रकबा 0.0290 हे0, 333 रकबा 0.0276 हे0, 370 रकबा 0.0315 हे0, 371 रकबा 0.0126 हे0, 442 रकबा 0.0132 हे0, 369 रकबा 0.0300 हे0, 368 रकबा 0.0100 है, 39 रकबा 0.0150 हे0, 38 रकबा 0.0195 हे0, 37 रकबा 0.0175 हे0, 317 रकबा 0.0510 हे0, 321 रकबा 0.0338 हे0, 320 रकबा 0.0058 हे0, 354 रकबा 0.0418 हे0, 28 रकबा 0.0342 हे, 33 रकबा 0.0125 हे0 व 35 रकबा 0.0200 हे0 कुल खसरा नम्बरान 20 कुल रकबा 0.4160 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूं—

1—उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रु0 7,80,000.00 (सात लाख अस्सी हजार रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2—उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम औरंगाबाद फजलगढ़, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की भूमि का चकमार्ग, नाली, शमशान व मरघट के रूप में तथा डीएफसीसीआईएल को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि स्थित ग्राम औरंगाबाद फजलगढ़, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में नियमानुसार प्रक्रिया अन्तर्गत जमा कराने के उपरांत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3—लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी मोदीनगर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4—उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

सं0 1287/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021—उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 246/र0का0-मोदीनगर/2021, दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश

राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद, ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित चकमार्ग के खाते में दर्ज खसरा संख्या 383 रकबा 0.0395 हे0 (चकमार्ग), 380 रकबा 0.0229 हे0 (चकमार्ग), 385 रकबा 0.0015 हे0 (चकमार्ग), 386 रकबा 0.0012 हे0 (नाली), 287 रकबा 0.0120 हे0 (चकमार्ग), 311 रकबा 0.0140 हे0 (जोहड़), 324 रकबा 0.0060 हे0 (नाली) 379 रकबा 0.0130 हे0 (नाली), 306 मि0 रकबा 0.0060 हे0 (चकमार्ग), 298 रकबा 0.0038 (चकमार्ग), 297 मि0 रकबा 0.0060 हे0 (चकमार्ग), 285 रकबा 0.0070 हे0 (चकमार्ग), 288 रकबा 0.0016 हे0 (चकमार्ग), 312 रकबा 0.0230 हे0 (चकमार्ग), 323 रकबा 0.0440 हे0 (चकमार्ग), 299 रकबा 0.0020 हे0 (नाली), 286 रकबा 0.0060 हे0 (नाली), 275 रकबा 0.0125 हे0 (नाली), कुल खसरा नम्बरान 18 कुल रकबा 0.2220 भूमि का विनिमय डीएफसीसीआईएल द्वारा ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की अर्जित भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 0.0320 हे0, 378 रकबा 0.0190 हे, 403 रकबा 0.0070 हे0, 404 रकबा 0.0118 हे0, 330 रकबा 0.0340 हे0, 279 रकबा 0.0091 हे, 280 रकबा 0.0045 हे0 281 रकबा 0.0053 हे0, 282 रकबा 0.0079 हे0, 283 रकबा 0.0079 हे0, 284 रकबा 0.0060 हे0, 381 रकबा 0.0090 हे0, 376 रकबा 0.0150 हे0, 375 रकबा 0.0120 हे0, 392 रकबा 0.0049 हे0, 308 रकबा 0.0111 हे0, 254 रकबा 0.0040 हे0, 253 रकबा 0.0050 हे0, 305 रकबा 0.0140 हे0, 297 रकबा 0.0208 हे0, 304 रकबा 0.0224 हे0, 301 रकबा 0.0208 हे0, 326 रकबा 0.0155 हे0, 327 रकबा 0.0301 हे0 कुल खसरा नम्बरान 24 कुल रकबा 0.3210 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूं–

1–उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रु0 4,65,450.00 (चार लाख पैंसठ हजार चार सौ रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2–उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की भूमि का चकमार्ग, नाली एवं जोहड के रूप में तथा डीएफसीसीआईएल को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि स्थित ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में नियमानुसार प्रक्रिया अन्तर्गत जमा कराने के उपरांत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3–लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी मोदीनगर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4–उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

राकेश कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

02 दिसम्बर, 2021

सं0 984/आठ–वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) वाराणसी–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है कि जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जनपद एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु जनपद चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार ग्राम बाघो में कुल 4.1982 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स इ0एन0वी0 डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राइवेट लि0 लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 770/सात/स0भू0अ0/2021, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3–भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

4–भूमि अर्जन के कारण शून्य परिवार विस्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक–13–2014–7क(8)/2014-लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 2014, इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर चन्दौली को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	बाघो	36	0.0727
				38	0.7001
				39	0.152
				40	0.320
				41	0.0321
				42	0.069
				43	0.0284
				44	0.202
				45	0.210
				46	0.214
				47	0.2836
				48	0.291
				49	0.271
				50	0.250
				51	0.372
				52	0.3785
				53	0.1698
				54	0.182
				योग. .	4.1982

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
जिला कलेक्टर,
चन्दौली।

NOTIFICATION

December 02, 2021

No. 984/VIII-S.L.A.O./(सं0सं0) Varanasi –Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of construction of District & Sessions Court, District Chandauli is of the opinion that a total of 4.1982 hectares of land is required in the Village-Bagho, Pargana-Majhwar, Tehsil and District-Chandauli is required for public purpose namely project District & Sessions Court District Chandauli through District & Sessions Court District Chandauli.

2. Social Impact Assessment study was carried out by M/s. E. N. V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd., Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation Letter No. 770/सात-स0 भू0 अ0/2021 Dated 30.10.2021.

3. Due to land acquisition no family is being displaced in the village.

4. A total of Nill families displace due to the land acquisition Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. **414/1-13-2014-7ka(8)/2014** dated August 06, 2014 has appointed Sub Divisional Magistrate Tehsil Sadar Chandauli as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose :

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Bagho	36	0.0727
				38	0.7001
				39	0.152
				40	0.320

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Bagho	41	0.0321
				42	0.069
				43	0.0284
				44	0.202
				45	0.210
				46	0.214
				47	0.2836
				48	0.291
				49	0.271
				50	0.250
				51	0.372
				52	0.3785
				53	0.1698
				54	0.182
			Total . .	**18**	**4.1982**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector, for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interest lies in the land may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Chandauli.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector, Chandauli.

NOTE : A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Chandauli for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
District Collector,
Chandauli.

03 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 539/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा/2021–सरयू नहर खण्ड–4, गोण्डा जनपद गोण्डा द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सरयू नहर परियोजना के अधीन सिंहपुर माइनर के निर्माण हेतु जनपद गोण्डा,

तहसील गोण्डा, परगना गोण्डा, ग्राम सिंहपुर में कुल 0.331 हे0, में भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अर्न्तगत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 473/आठ–वि0भू0अ0अ0/गोण्डा (अधि0सू0)/2020–21 दिनांक 26 अगस्त, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ गोण्डा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27 नवम्बर, 2021 पर विचारोपरान्त धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद गोण्डा, तहसील गोण्डा, परगना गोण्डा, ग्राम सिंहपुर की सम्बन्धित ग्राम की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (सरयू नहर खण्ड–4, गोण्डा द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा सरयू परियोजना के अन्तर्गत सिंहपुर माइनर नहर निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई हितवद्ध व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	सिंहपुर	136	0.117
				115	0.214
				योग . .	0.331

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर गोण्डा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

NOTIFICATION

Dated December 03, 2021

No. 539/VIII-S.L.A.O./Notification/Gonda/2021–Whereas Preliminary Notification No. 473/ VIII-S.L.A.O./Gonda/2020-21 dated August 26, 2021 was issued under sub-section 11 of the Right to Fair

Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 0.331 Hectares of land in Village Singhpur, Pargana Gonda, Tehsil Gonda, District Gonda in required for public purpose, namely Project Singhpur minor under Saryu Canal Project through Saryu Nahar Khand-4, Gonda and lastly published on Dated September 11, 2021.

After considering the report of the Collector dated November 27, 2021 submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Gonda to publish a summary of the Rehabilition and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. (No interested person is getting displaced in the acquisition process of proposed land for Saryu Nahar Khand-4 Gonda under public purpose *i.e.* Saryu Project Singhpur Minor.)

SCHEDULE "A"

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Gonda	Gonda	Gonda	Singhpur	136	0.117
				115	0.214
				Total :	0.331

SCHEDULE "B"

(Market land in the area of Rehabilitation and Resettlement for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Gonda	Gonda	Gonda	00	00	00

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Gonda for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE
Collector,
Gonda.

03 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 540 / आठ-वि0भू0अ0अ0 / अधिसूचना / गोण्डा / 2021–सरयू नहर खण्ड–4 गोण्डा, जनपद गोण्डा द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सरयू नहर परियोजना के अधीन पायर कोहना माइनर के निर्माण हेतु जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर, परगना बभनी पायर, ग्राम सैजलपुर में रकबा 0.458 हे0, व ग्राम बक्सी भारी रकबा 0.094 हे0 में स्थित कुल 0.552 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 474 / आठ-

वि0भू0अ0अ0/गोण्डा (अधि0सू0)/2020-21 दिनांक 26 अगस्त, 2021 को निर्गत की गयी थी। तथा अन्तिम रूप से दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ गोण्डा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27 नवम्बर, 2021 पर विचारोपरान्त धारा 19 की उपधरा (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर, परगना बभनीपायर, ग्राम सैजलपुर व बक्सीभारी की सम्बन्धित ग्राम की शूल्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषण के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (सरयू नहर खण्ड–4, गोण्डा द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा सरयू परियोजना के अन्तर्गत पायर कोहन, माइनर नहर निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई हितवद्ध व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोण्डा	मनकापुर	बभनी पायर	सैजलपुर	85	0.024
				86	0.081
				395	0.353
				योग . .	0.458
			बक्सी भारी	70	0.043
				97	0.051
				योग . .	0.094
				सम्पूर्ण योग . .	0.552

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोण्डा	मनकापुर	बभनी पायर	शून्य	शून्य	शून्य
गोण्डा	मनकापुर	बभनी पायर	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर गोण्डा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

NOTIFICATION

Dated December 03, 2021

No. 540/VIII-S.L.A.O./ Notification/Gonda/2021–Whereas Preliminary Notification No. 474/ VIII-S.L.A.O./Gonda/2020-21 dated August 26, 2021 was issued under sub-section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 0.552 hectares of land in Village Saijalpur and Baksibhari, Pargana Babhanipayar, Tehsil Mankapur, District Gonda is required for public purpose, namely Project Payar Kohna Minor under Saryu Canal Project through Saryu Nahar Khand-4, Gonda and lastly published on Dated September 11, 2021.

After considering the report of the Collector dated November 27, 2021 submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Gonda to publish a summary of the Rehabilition and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. (No interested person is getting displaced in the acquisition process of proposed land for Saryu Nahar Khand-4 Gonda under public purpose *i.e.* Saryu Project Payar Kohana Minor.)

SCHEDULE "A"

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Gonda	Mankapur	Babhani Payar	Saijalpur	85	0.024
				86	0.081
				395	0.353
				Total :	0.458
Gonda	Mankapur	Babhani Payar	Baksi Bhari	70	0.043
				97	0.051
				Total :	0.094
				Grand Total:	0.552

SCHEDULE "B"

(Market land in the area of Rehabilitation and Resettlement for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Gonda	Mankapur	Babhanipayar	00	00	00
Gonda	Mankapur	Babhanipayar	00	00	00

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Gonda for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector,
Gonda.

कार्यालय उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा

05 अगस्त, 2021 ई0

सं0 288/परि0/का0आ0/एल0एस0मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल/मैनपुरी/2021, आगरा–मैनपुरी जनपद में स्थित एल0एस0 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मोहल्ला वेदनटोला, सिरसा रोड़ कुरावली मैनपुरी उ0प्र0, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0 100/परिक्षेत्र/आगरा/2016 दिनांक 21 जुलाई, 2016 है तथा वैद्यता 20 जुलाई, 2021 तक थी, जो केवल भारी वाहन के चालन प्रशिक्षण हेतु अधिकृत है। उपरोक्त स्कूल के प्रबन्धक/स्वामिनी को कार्यालय के पत्र सं0 567/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/मैनपुरी/नोटिस/2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 द्वारा माह जनवरी 2020 से

कार्यालय से कोई भी फार्म-5 प्राप्त न किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका कोई जवाब/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के आदेशानुसार संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मैनपुरी द्वारा उपरोक्त स्कूल का निरीक्षण किया गया तथा उनके द्वारा ''उक्त स्थल पर इस नाम का कोई भी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित नहीं है और न ही कोई भवन व वाहन उपलब्ध पाया गया'' की टिप्पणी अंकित कर कार्यालय के पत्र सं0 396/सा0प्रशा0/निरीक्षण-आख्या/2020 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी थी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र सं0 628/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/मैंनपुरी/नोटिस/2020 दिनांक 07 नवम्बर, 2020 एवं सं0 193/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/मैंनपुरी/नोटिस/2021 दिनांक 09 जून, 2021 के द्वारा संस्थान के स्वामिनी/प्रबन्धक को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था अन्यथा की स्थिति में गुणदोष के आधार पर एकतरफा निर्णय लेते हुए स्कूल की मान्यता समाप्त करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु उपरोक्त संस्थान के स्वामिनी/प्रबन्धक न तो स्वयं उपस्थित हुई और न ही उनका कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ, इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त स्कूल कार्यालय के अभिलेख में दर्ज पते पर संचालन में नहीं है।

अतः मैं, जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा उपरोक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 100/परिक्षेत्र/आगरा/2016 दिनांक 21 जुलाई, 2016, जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 20 जुलाई, 2021 तक है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं तथा संस्थान के स्वामिनी को आदेशित करता हूं कि उक्त अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र को इस कार्यालय में समर्पित कर दें।

सं0 289/परि0/का0आ0/वैभव मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल-झांसी/2021—झांसी जनपद में स्थित मैसर्स वैभव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मेडिकल गेट नं0-1 के सामने, निर्मल हॉस्पीटल के बगल में झांसी उ0प्र0, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0 77/परिक्षेत्र/आगरा/2012, दिनांक 27 अगस्त, 2012 है तथा वैद्यता 26 अगस्त, 2017 तक थी, जो केवल हल्के वाहन के चालन प्रशिक्षण हेतु अधिकृत है। उपरोक्त स्कूल के प्रबन्धक/स्वामिनी को ट्रेनिंग स्कूल की वैद्यता समाप्त होने तथा नवीनीकरण सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 2375/परि0/मो0ड्रा0टे0-स्कूल/झांसी/नोटिस/2019 दिनांक 18 जुलाई, 2019 प्रेषित किया गया था, जिसका कोई जबाव व उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0 362/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/झांसी/नोटिस/2020 दिनांक 18 जून, 202ò एवं पत्र सं0 547/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/झांसी/नोटिस/2020 दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के द्वारा संस्थान के प्रबन्धक/स्वामिनी को स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, अन्यथा की स्थिति में स्कूल की अनुज्ञप्ति निरस्त की कार्यवाही करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु संस्थान के प्रबन्धक/स्वामिनी न ही स्वयं उपस्थित हुईं और न ही उनका कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए।

इस कार्यालय के पत्र सं0 596/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/झांसी/नोटिस/2020 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र सं0 650/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/झांसी/नोटिस/2020 दिनांक 17 नवम्बर, 2020 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), झांसी को पत्र प्रेषित कर उक्त संस्थान का अंतिम बार किसी सक्षम अधिकारी से निरीक्षण कराकर अपनी आख्या संस्तुति सहित प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया था।

उक्त क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) झांसी ने कार्यालय के पत्र सं0 847/प्रशा0/2021 दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), झांसी की निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की गयी। उक्त आख्या में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), झांसी द्वारा अवगत कराया गया कि ''उपरोक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल उक्त पते पर संचालित नहीं मिला। स्कूल की संचालिका के घर पहुंचने पर भी संचालिका का कोई पता नहीं चला। उक्त सम्बन्ध में स्कूल की संचालिका श्रीमती रेखा टोरिया के ससुर के द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि स्कूल के कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है।'' इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त स्कूल कार्यालय के अभिलेख में दर्ज पते पर संचालन में नहीं है।

अतः मैं, जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा उपरोक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 77/परिक्षेत्र/आगरा/2012 दिनांक 27 अगस्त 2012 है, जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 26 अगस्त, 2021 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं तथा संस्थान के स्वामिनी को आदेशित करता हूं कि उक्त अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र को इस कार्यालय में समर्पित कर दें।

सं0 290/परि0/का0आ0/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल/2021 आगरा–आगरा जनपद में स्थित के0आर0 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, प्लाट नं0–805 सेक्टर–5, आवास विकास कालौनी, सिकन्दरा आगरा उ0प्र0 जिसकी अनुज्ञप्ति सख्या 60/परिक्षेत्र/आगरा/2010, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 है, जिसकी वैद्यता 30 दिसम्बर, 2020 तक थी, जो केवल हल्के वाहन के चालन प्रशिक्षण हेतु अधिकृत है। मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), आगरा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 1675/सा0प्रशा/मो0ड्रा0टे0-स्कूल/निरीक्षण/2020 दिनांक 08 जुलाई, 2020 द्वारा उक्त स्कूल का निरीक्षण कर, उपरोक्त स्कूल नामित पते पर न पाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में स्कूल के प्रबन्धक/स्वामी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 468/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/आगरा/नोटिस/2020 दिनांक 19 अगस्त, 2020, पत्र सं0 542/ परि0/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल/आगरा/नोटिस/2020 दिनांक 30 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या 03/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0–स्कूल/आगरा/नोटिस/2021 दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा उपरोक्त के सम्बनध में स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका कोई जवाब/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। स्कूल के प्रबन्धक/स्वामी द्वारा स्कूल के नवीनीकरण हेतु कोई प्रपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के क्रम में पुनः कार्यालय के पत्र सं0 31/परि0/मो0ड्रा0ट्रे0-स्कूल/आगरा/निरीक्षण/2021 दिनांक 23 जनवरी, 2021 द्वारा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), आगरा को पत्र प्रेषित करते हुए, मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का अंतिमबार निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) आगरा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 1366/सा0प्रशा0/प्राविधिक/2021 दिनांक 09 जून, 2021 द्वारा ''मेसर्स के0आर0 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, प्लाट नं0–805 सेक्टर–5, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा आगरा दिनांक 02 जून, 2021 को निरीक्षण के दोरान संचालित नहीं पाया गया'' की टिप्पणी अंकित कर आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त स्कूल कार्यालय के अभिलेख में दर्ज पते पर संचालन में नहीं है।

अतः मैं जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा उपरोक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 60/परिक्षेत्र/आगरा/2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 है, जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं तथा संस्थान के स्वामी को आदेशित करता हूं कि उक्त अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र को इस कार्यालय में समर्पित कर दें।

जयशंकर तिवारी,
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी/उप परिवहन आयुक्त,
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

कार्यालय उप संभागीय परिवहन अधिकारी, भदोही

16 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 939/सा0प्र0/पंजीयन निरस्त/2021–वाहन संख्या UP66T3157 LMV के स्वामी श्री वेद प्रकाश मिश्रा पुत्र/पत्नी लक्ष्मीशंकर मिश्रा नि0 दरुनहा, जनपद भदोही, उ0प्र0 ने अवगत कराया है कि उनकी वाहन जीर्ण–शीर्ण हो गयी है जो चलने योग्य नहीं है। वाहन का कर 31 अक्टूबर, 2021 जमा है। वाहन का चेचिस सं0 C6M47266 इंजन संख्या MCC6M43327 माडल 2012 है। वाहन के प्रपत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2021 को समर्पित कर दिये गये हैं तथा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में वाहन स्वामी से जमा करा लिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत मैं, अरुण कुमार, कर/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 की उप धारा (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP66T3157 LMV का पंजीयन चिन्ह निरस्त करता हूं। उपरोक्त वाहन यदि भविष्य में संचालित पायी जाती है तो वाहन पर देय समस्त कर वाहन स्वामी को जमा करना अनिवार्य होगा।

अरुण कुमार,
कर/पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
भदोही।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 दिसम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 27, 1943 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख — 04 अक्टूबर, 2021 ई0 / 12 आश्विन, 1943 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/182/2017—यतः, वर्ष 2017 में आयोजित उत्तर प्रदेश की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 182-सरेनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, श्रीमती रत्ना पाण्डेय, निवासी एसएस 1/265, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अन्तर्गत विधि द्वारा अपेक्षित समय सीमा के भीतर और यहां तक कि इस संबंध में आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दर्ज नहीं करने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली की रिपोर्ट के आधार पर आयोग के आदेश सं0 76/यूपी-एलए/2017, दिनांक 07 नवम्बर, 2019 के तहत दिनांक 07 नवम्बर, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिये संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित कर दिया गया था; और

यतः, उक्त श्रीमती रत्ना पाण्डेय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत आयोग के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश के तहत उन पर लगाई गई निरर्हता को हटाने के लिये दिनांक 09 फरवरी, 2021 के पत्र के तहत यह तर्क देते हुये अपील की थी कि यह निरर्हता उन्हें समुचित अवसर दिये बिना की गई थी; और

यतः, श्रीमती रत्ना पाण्डेय को आयोग के दिनांक 18 फरवरी, 2021 के पत्र के तहत यह कहा गया था कि सर्वप्रथम वे विधि के अधीन अपेक्षित रीति से सभी आवश्यक वाउचरों सहित अपने लेखे प्रस्तुत करें और तत्पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन एक शपथ-पत्र देते हुये एक अपील दायर करें जिसमें सांविधिक उपबंधों का पालन करने में उनकी विफलता के कारणों का उल्लेख किया गया हो; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती रत्ना पाण्डेय ने विधि के अन्तर्गत विहित रीति में दिनांक 31 जुलाई, 2021 को अपने निर्वाचन व्यय संबंधी लेखे प्रस्तुत कर दिये थे और उन्होंने अपने

लेखे में समस्त व्यय की सही जानकारी दी थी तथा इसके अतिरिक्त श्रीमती रत्ना पाण्डेय ने दिनांक 25 अगस्त, 2021 को अपेक्षित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि अपनी अस्वस्थता के कारण तथा अपनी मां का निधन होने और उसके बाद स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण वे अपने लेखे समय पर जमा नहीं करा पाई थी; और

यतः, इस मामले में सभी तथ्यों और अपीलकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के उपरान्त आयोग ने श्रीमती रत्ना पाण्डेय को व्यक्तिरूप से सुनने और वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी; और

यतः, श्रीमती रत्ना पाण्डेय अपने अधिवक्ता, श्री सोमेश त्रिपाठी के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 28 सितम्बर, 2021 को उप निर्वाचन आयुक्त एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 19-क द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी, श्री चंद्रभूषण कुमार के समक्ष उपस्थित हुई थी और निरर्हता हटाने के लिये अपने मामले की पैरवी की थी; और

यतः, इस मामले में सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस तथ्य कि अभ्यर्थी ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष बिना किसी त्रुटि के अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत कर दिया है, पर विचार करने के उपरांत, अपीलीय प्राधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को एक मौखिक (स्पीकिंग) आदेश पारित किया है कि श्रीमती रत्ना पाण्डेय पर उक्त अधिनियम 10-क के अन्तर्गत 07 नवम्बर, 2019 को अधिरोपित निरर्हता अवधि कम कर दी जाये और इसे 28 सितम्बर, 2021 (मंगलवार) तक सीमित कर दिया जाये।

अब इसलिये, भारत सरकार के राजपत्र और राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आयोग के आदेश संख्या 76/यूपी-एलए/2017, दिनांक 07 नवम्बर, 2019 की क्र0सं0 (4) पर उल्लिखित श्रीमती रत्ना पाण्डेय का नाम, उस अधिसूचना से दिनांक 29 सितम्बर, 2021 (बुधवार) से विलोपित माना जायेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

आदेश से,
अजय कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 04th *October*, 2021 / 12th *Asvina*, 1943 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/182/2017–WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Raebareli, the Commission *vide* its Order no. 76/UP-LA/2017, dated 07th November, 2019, had disqualified under Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, Smt. Ratna Pandey, resident of SS 1/265, Sector-A, Sitapur Road, Lucknow, U.P.-226021, a contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 182-Sareni Assembly Constituency, held in the year 2017, for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from 07th November, 2019, for not lodging the account of her election expenses within the time required by law and even after issue of a notice by the Commission in this regard; and

WHEREAS, the said Smt. Ratna Pandey *vide* her letter dated 09-02-2021 had preferred an appeal u/s 11 of the Representation of the People Act, 1951 for removal of disqualification imposed upon her *vide* Commission's aforementioned Order with the contention that such disqualification had been done without giving her proper opportunity; and

WHEREAS, Smt. Ratna Pandey was asked *vide* Commission's letter, dated 18-02-2021 to first submit her accounts in the manner required under law, accompanied by all the requisite vouchers and then file an appeal under section 11 of the Representation of the People Act, 1951 along with an affidavit stating therein the reasons for her failure to comply with statutory provisions; and

WHEREAS, as per report received from DEO, Raebareli, Smt. Ratna Pandey lodged her accounts of election expenditure on 31-07-2021, in the manner prescribed under law and she correctly reported all the expenditures in her account and further Smt. Ratna Pandey also submitted the requisite affidavit, dated 25-08-2021 stating *inter-alia* therein that she was not able to lodge her accounts in time because of ill health and demise of her mother and thereafter due to the fact that she got infected with Covid-19; and

WHEREAS, considering all the facts in the matter and submission made by the appellant, the Commission afforded Smt. Ratna Pandey an opportunity of being heard in person and to present her case through video conferencing; and

WHEREAS, Smt. Ratna Pandey along with her advocate Sh. Somesh Tripathi appeared through VC on 28th Spetember, 2021 before Sh. Chandra Bhushan Kumar, Deputy Election Commissioner and Appellate Authority in the case, by virtue of the powers conferred on him by the Section 19A of the Representation of the People Act, 1951 and pleaded her case for removal of disqualification; and

WHEREAS, after considering all the relevant facts and circumstances in the matter including the fact that the candidate has since lodged her account of election expenses with the District Election Officer concerned without any defects, the Appellate Authority in exercise of the powers delegated in this regard by the Election Commission, has passed a speaking order dated 28-09-2021, under section 11 of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification imposed on 07th November, 2019 under section 10-A of the said Act on Smt. Ratna Pandey, be reduced and restricted to 28-09-2021 (Tuesday).

NOW THEREFORE, the name of Smt. Ratna Pandey which appeared at S. No. (4) of the Commission's order no. 76/UP-LA/2017, dated 07-11-2019, published in the gazette of Government of India as well as State Government shall stand deleted from that notification *w.e.f.* 29-09-2021 (Wednesday).

This issues with the approval of the Competent Authority.

By order,
AJOY KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–59 निर्वाचन–16-12-2021–25 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 दिसम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 27, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत, डासना, गाजियाबाद

09 नवम्बर, 2021

सं0 248(ए)/नपडा-उपनि0वि0शु0/2021-2022–संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (एक्ट सं0 02, 1916) व संशोधित एक्ट संख्या 12, 1994-94(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, डासना, गाजियाबाद ने अपनी सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन कर/शुल्क का निर्धारण और वसूली के उपनियम, भारत सरकार/उ0 प्र0 शासन व द्वारा मान्यता प्राप्त समाचार-पत्र "जन सत्ता'' दैनिक समाचार-पत्र नई दिल्ली दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के अंक में प्रकाशित कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये थे जिन पर निश्चित समय के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः मैं, हज्जन हंसार, अध्यक्ष, नगर पंचायत, डासना, गाजियाबाद संयुक्त प्रान्त नगर पालिका एक्ट, 1916 की धारा 301(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत की सीमा एवं सीमा क्षेत्र में उपनियम प्रकाशित करती हूँ यह उपनियम नगर पंचायत, डासना एवं उससे लगे क्षेत्र के अर्न्तगत गजट प्रकाशन के दिनॉक से लागू होगें।

उपविधि/उप नियम

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, डासना, गाजियाबाद के सीमान्तर्गत विज्ञापन कर/शुल्क का निर्धारण और वसूली उपविधि 2021 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत, डासना, गाजियाबाद की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनॉक से लागू (प्रवृत्त) होगी।

2–परिभाषायें–

(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम सं०–2, 1916) से है।

(2) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य, नगर पंचायत, डासना से है।

(3) अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य नगर पंचायत, डासना के अधिशासी अधिकारी से है।

(4) अध्यक्ष' का तात्पर्य, नगर पंचायत, डासना के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(5) ''प्रशासक/बोर्ड'' का तात्पर्य, सरकार द्वारा नियुक्त/अधिकृत उपजिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी से/निर्वाचित नगर पंचायत से है।

(6) ''निरीक्षणकर्ता' का तात्पर्य, कर समहर्त्ता, अवर अभियन्ता, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, डासना या जिसे नगर पंचायत समय-समय पर अधिकृत करें।

(7) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्तियों में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि और भवन का स्वामी भी सम्मिलित हो।

(8) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक, माल जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो से संप्रदर्शित हो और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

(9) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है।

(10) ''गुब्बारा का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है, जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

(11) ''झण्डी'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है, जिस पर कोई प्रति आकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।

(12) ''झण्डी प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो।

(13) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है। जिसमें विद्युतीय/ जनरेटर से चालित/बैटरी से चालित साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।

(14) "भू–प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो।

(15) "प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्य प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(16) ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना, वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से संबद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो, जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो।

(17) ''प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसी किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिली मीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

(18) "मार्गधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(19) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परनिर्मित हो या रखा गया हो, जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

(20) ''अनुसूची का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न अनुसूची से है।

(21) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसे संरचना से है, जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो।

(22) "विज्ञापन पर कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है।

(23) ''अस्थायी प्रतीक'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(24) ''बराण्डा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बराण्डा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है।

(25) ''दीवार प्रतीक'' से तात्पर्य किसी प्रक्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है, जो किसी भवन या वाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हों।

2–इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हो ।

3–स्थल चयन के लिये समिति का गठन–

(1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार के लिये ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिये नगर पंचायत में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नवत् होगे–

1–अधिशासी अधिकारी,	अध्यक्ष
2–नगर में यातायात का प्रभारी या नामित प्रतिनिधि (यातायात पुलिस विभाग),	सदस्य
3–परियोजना निदेशक, का नामित प्रतिनिधि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,	सदस्य
4–अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का नामित प्रतिनिधि,	सदस्य
5–नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी,	सदस्य
6–परिवहन विभाग का एक अधिकारी नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7–सचिव, विकास प्राधिकरण का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
9–पंचायत का यातायात अभियन्ता, अवर अभियन्ता या कोई अधिकारी	सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त, नगर पंचायत, डासना, गाजियाबाद के अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा नामित दो सभासदगण, उपरोक्त समिति के सदस्य होंगे।

10–नगर पंचायत द्वारा गठित विज्ञापन समिति का निर्णय अन्तिम होगें।

टिप्पणी– अधिशासी अधिकारी किसी अन्य सदस्य को अपने विवेक से सहयोजित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन कर/शुल्क की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिये।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–प्रतिषेध–

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक (ट्री-गार्ड) नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वारा विद्युत या टेलीफोन के खम्भे चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो. न ता परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा और न लटकायेगा।

(2) नगर पंचायत, की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देंगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्टा ऐसी रीति से प्रतिस्थापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन से अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो ।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम–1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर नहीं प्रतिस्थापित की जायेंगी।

(6) नगर पंचायत सीमान्तर्गत विभिन्न विभागों, प्राधिकरणों, पंचायतों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों के क्षेत्र में (चाहे, वह नगर पंचायत को हस्तान्तरित हो अथवा नहीं) विज्ञापन, अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ही किया जा सकेगा।

(7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नगर पंचायत किसी भी सरकारी (भारतीय रेलवे को छोड़कर) अर्द्धसरकारी, निजी स्थान, आर0डब्ल्यू0ए0 इत्यादि को विज्ञापन के ठेके देने/प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर भरकर कार्यालय में नियत प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जायेगा या नगर पंचायत के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रशीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन नियम 3(1) के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन विज्ञापन पट्टो के सम्बन्ध में लागू होगा।

(3) यदि विज्ञापन किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार विवरण ।

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट। आवेदन, आवश्यक चित्रो और संरचना–संगणनाओं सहित अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप

से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग 4 ''संरचना अभिकल्प धारा 1 भार वल और प्रभाव के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना था लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुशा संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यति क्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर/शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे, तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीपाडों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है, तो वह इस नियमावली के अधीन कर/शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो अधिशासी अधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि की रसीद संलग्न होगी।

6—अनुज्ञा प्रदान करने की शर्ते

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने,''लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निर्बन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी, जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो.

परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया है।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगो और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्भूत किया जायेगा. चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिस्थापित किया गया है। की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी 2 मीटर से कम नहीं होगी।''

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ड) विज्ञापन या विज्ञापन भट्ट की विषय वस्तु या उसके वितरण में अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुशंसा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(च) विज्ञापनकर्त्ता ऐसी अवधि, जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देगें या उसे गिरा देगें।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिस्थापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) (1) चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जैसे ग्रीनबेल्ट, पार्क, एल०एम०सी० भूमि,अन्य सरकारी एवं प्राईवेट भूमि पर लगाये गये विज्ञापन अवैध माने जायेंगे तथा इन विज्ञापनकर्ताओं के अवैध बोर्ड को हटाकर छः माह का वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

(झ) मार्ग के लिये खुली छोड़ी गयी भूमि. पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिये स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।

(ञ) भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और यातायात में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

(ट) लोकहित में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा। परन्तु उक्त

कार्यवाही की जायेगा। उक्त नोटिस में लोकहित का किस प्रकार उल्लंघन अनुज्ञाधारी द्वारा किया जा रहा है, स्पष्ट किया जायेगा। अनुज्ञाधारी का उत्तर प्राप्त होने पर उक्त उत्तर के परीक्षण उपरान्त ही अनुज्ञा-पत्र के निलम्बन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(ठ) विज्ञापनकर्ता अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर नियमावली और विनियमावली का अनुपालन करेगा।

(ड) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।

(ढ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों तथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की नहीं होगी।

(ण) समस्त विज्ञापन नियम 16 समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षायें में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(त) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाडा बांधा नहीं जायेगा।

2–अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण न किये जाने की निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुज्ञा समाप्त करने अथवा नवीनीकरण न किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारी को लिखित व पंजीकृत डाक से एक माह की अवधि में उत्तर दिये जाने की प्रत्याशा में कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग तकनीकि कमी से / किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से गिर जाता है तो उससे जान-माल की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारी से की जायेगी ।

(ख) यदि कोई परिवर्धन, अधिशासी अधिकारी के निर्देशों के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन छोड़कर किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिर्व्धन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है।

(ड) यदि ऐसा भवन या संरचनाओं जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध भंजित या नष्ट हो जाती है।

7–प्रीमियम –

(1) न्यूनतम प्रीमियम धनराशि का निर्धारण खुले नीलाम या सील बन्द निविदा प्रक्रिया से नियत किया जायेगा अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत द्वारा नियत की जायेगी।

(2) न्यूनतम सात दिन का समय मुहर बंद लिफाफों में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि की रसीद संलग्न होनी चाहिये।

8–आवंटन समिति–

(1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में नगर पंचायत में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे

(i) कर राजस्व अधिकारी, (नगर पंचायत डासना) सदस्य

(ii) नगर पंचायत डासना का अवर अभियन्ता सदस्य

(iii) विज्ञापन पट्ट प्रभारी/कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक, सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा नामित 2 (दो) सभासदगण उपरोक्त समिति के सदस्य होंगे।

(2) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पन्नों, निविदाओं, प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदन करेगी।

(3) नियम 07(1) के अधीन (कर सहित/ रहित) प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा नगर पंचायत को अनुमोदित प्रीमियम की 2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी की जायेगी।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबन्धन एवं शर्ते (नियम 5: 6) अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(7) नगर पंचायत में विज्ञापन ठेके की एक न्यूनतम धनराशि निर्धारित की जायेगी। इस धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में निविदा के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा तथा ठेका स्वीकृत उपरान्त 10 दिन के अन्दर समस्त धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा।

(8) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापनकर्ता द्वारा देय होगा।

(10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहां नियम 18 के अधीन इसकी अनुज्ञा न हो) या ट्री–गार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा देय होगी।

(11) जनहित के विज्ञापन (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार) पल्स पोलियों, मतदाता पहचान-पत्र, जागरूकता अभियान, साक्षरता मिशन, परिवार कल्याण आदि जन-उपयोगी सामाजिक सूचनाओं के विज्ञापन के लिये 20 प्रतिशत स्थल आरक्षित रखे जायेंगे। बी0ओ0टी0 (नई/पुरानी) के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष द्वारा नीति निर्धारित की जायेगी।

(12) विद्युत पोलों पर बोर्ड की निर्धारित माप 30'' 40'' से अधिक नहीं होगी।

(13) पोस्टर एवं वेनर तथा वाल पेन्टिंग के ठेके नहीं किये जायेंगे। इससे दीवारों एवं नगर की सफाई. स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(14) नगर पंचायत में प्रत्येक माह विज्ञापन पट्टों का भौतिक निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या पत्रावली पर रखी जाये।

(15) विज्ञापन का आवंटन सीलवन्द निविदा के आधार पर किया जायेगा तथा तकनीकि एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक् रूप से डाली जायेगी।

9–आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार–

नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है–

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन नगर पंचायत की दृष्टि में अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रक्रिया का या नगर पंचायत के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को

उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि अधिशासी अधिकारी की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 128 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति–

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखाने, करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अधिशासी अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा।

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

11–अनुज्ञा की अवधि–

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञा अधिशासी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जायेगी। तदानुसार ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीनीकरण किया जायेगा। तीन-तीन माह का नवीनीकरण अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जायेगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लघंन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय में या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अंशान्ति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है।

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय ।

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लघंन के फलस्वरूप परिनिमित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था. चिपकाया गया था, के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को नगर पंचायत द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन–

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा–

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर ग 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भू-तल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो। जो बी०ओ०टी० है उन्हें छोड़कर नगर पंचायत बोर्ड की अनुमति के बिना कोई बी०ओ०टी० नहीं की जायेगी।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) नियम–3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये अनुपयुक्त हो।

(पांच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो।

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(सात) यह ऐतिहासिक या. राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो।

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुंचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो।.

(दो) राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

(तीन) नियम 18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

(चार) किसी लोक प्राधिकरण तथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण। या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिये परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(पांच) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न, व्यवधान उत्पन्न हो।

(छः) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियों या पत्रक पर जिससे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिये परिसंकटमय हों।

(सात) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उसकी दृश्यता बाधित हो।

(आठ) जब इनसे स्थानीय सुविधा प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना तथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चाँधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त हैं।

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात जो उनके द्वारा प्रदीप्त हैं।

14–छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन–

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल वैध प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य हैं।

(2) नियम 6 और नियम 13 के अधीन रहते हुये, किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई, नियम 15 (ग) (2) के अनुसार होगी।

15–विज्ञापन तीन प्रकार के होंगे–

1–होर्डिंग्स, 2–क्योस्क, 3–यूनिपोल

16–विज्ञापन पट्टों के प्रकार विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के हैं

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन
(ख) भू-विज्ञापन
(ग) छत विज्ञापन
(घ) बरामदा विज्ञापन
(ङ) प्रक्षिप्त विज्ञापन
(च) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
(छ) आकाशीय विज्ञापन
(ज) विविध और अस्थायी विज्ञापन

क–विद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन

1–विद्युत विज्ञापन की सामग्री जहां विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो उसे छोड़कर प्रत्येक विद्युत विज्ञापन पट्ट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

2–विद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन प्रत्येक विद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन के भाग 8 भवन सेवायें धारा 2 विद्युत एवं सामग्री स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

3–लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।

4–दो मंजिल से कम की ऊंचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो स्थिति सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से अवलम्बित किये जायेंगे, जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लिये किसी विज्ञापन पट्ट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रूप से रोका जा सके।

5–गहन प्रदीप्ति–कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा, जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती आवासीय भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिये दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् अधिशासी अधिकारी की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो को अधिशासी अधिकारी के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि जैसा कि अधिशासी अधिकारी विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा या उसे हटा दिया जायेगा।

6–परिचालन अवधि–लोक सौहार्द स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में अधिशासी अधिकारी की राय में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई विद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

7–चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला–कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जायेगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

(ख) भू-विज्ञापन

1–सामग्री–ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन, नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

2–आयाम–भूमि से ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक कोई भू-विज्ञापन जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुखभाग से ऊपर जा सकता है।

3–अवलम्ब और स्थिरक स्थान–प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिर, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

4–स्थल सफाई दृश्य किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी अधिशासी अधिकारी अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

5–यातायात में आपत्ति–ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जायेगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

6–तल निर्बाधन भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

7–दृभू–चित्रित विज्ञापन–जहां प्रयोज्य हो वहां नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(ग) छत विज्ञापन

1–सामग्रीः नियम 18 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढांचे, अवलम्बों और पटिट्यों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पटिट्का को अज्जवलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और जहां ज्वलनशील सामग्रियां अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेगी। अनुज्ञात हो

2–आयाम–कोई छत विज्ञापन ऊंचे भवनों पर निम्नलिखित ऊंचाईयों से अधिक नहीं होगा।

भवन की ऊंचाईविज्ञापन की ऊंचाई

(क) चार मंजिल या 18 मीटर से अनाधिक

(ख) पांच से आठ मंजिल या 18 मीटर से अधिक किन्तु 36 मीटर से अनाधिक 02 मीटर

(ग) आठ मंजिल से अधिक या 36 मीटर परन्तु ऐसे विज्ञापनों की ऊंचाई की गणना 03 मीटर करने में उसी भवन के विभिन्न तलों पर एक दूसरे के ऊपर रखे गये या समतलों 05 मीटर पर रखे गये विज्ञापनों को एक विज्ञापन समझा जायेगा, चाहे ऐसे विज्ञापन विभिन्न स्वामियों से सम्बन्धित हो या न हो।

3–अवस्थिति–(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रखा जायेगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न होगा।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रखा जायेगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

4–क्षेपण–कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन के प्रक्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

5–अवलम्ब और स्थिरक–प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जायेगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप से संवितरित होंगे।

6–चित्रित छत विज्ञापन, नियम 14–समस्त विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जना चाहिये।

(घ) बरामदा विज्ञापन–

1–सामग्री–प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 14 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

2–आयाम–कोई बरामदा विज्ञापन ऊंचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मीटर से अधिक नही होगा। इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अत्यधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन परिनिर्मित किया जा सकता है।

3–संरेखण–प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन, के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

4–स्थान बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगायी जायेगी।

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गाटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नही, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो

और विज्ञापन पट्टियां ऐसी मंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किये हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

5–लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई–किसी बरामदा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर पर हो।

6–प्रक्षेपण–घ–4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नही होगी। दीवार विज्ञापन पदार्थ दृश्य मीटर क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका नियम 14 के उपनियम (4) में दिये गये ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग में यथा उपबन्धित के सिवाये अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

(एक) परिमाप किसी दीवार विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 20 मीटर से अधिक नहीं होगा, सड़क के सामने जिधर ऐसी विज्ञापन पट्टिका का सामना पड़ता हो 15 मीटर के भवन, अग्रभाग के संबंध में प्रेक्षागृह या सिनेमा के नाम वाले किसी दीवार, विज्ञापन पट्टिका के मामले को छोड़कर ऐसे विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 200 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(दो) 30 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार विज्ञापन पट्टिका किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगायी जायेगी जो सीधे सड़क के सामने न पड़ती परन्तु ऐसी विज्ञापन पट्टियों या विज्ञापन पट्टिकायें सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(तीन) प्रक्षेपण कोई भी दीवार विज्ञापन पट्टिका उस दीवार के जिससे वह लगी हो, शिखर के ऊपर या उसे अन्तिम छोर के बाहर नहीं निकली होगी। किसी ऐसे स्थान पर जहां पदयात्री किसी ऐसे दीवार के पास होकर गुजरते हो, लगी कोई विज्ञापन पट्टिका वहां से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी, जो ऐसे स्थान की सतह से 2.5 मीटर माप की ऊंचाई के भीतर होगी।

(चार) अवलम्ब एवं संलग्न–दीवारों से लगी प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका सुरक्षित रूप से लगी होगी। लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू–स्टेपल्स या कील के संबंध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ स्थिर को, लकड़ी की दीवारों से लगी दीवार विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले को छोड़कर उचित स्थिर नहीं माना जायेगा।

ङ–प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकायें–

1–सामग्री–प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगा।

2–प्रक्षेपण एवं ऊँचाई–कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाईन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिनें कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग जिससे वह लगी हो के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

3–अवलम्ब एवं संलग्न प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचालन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, राड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हों द्वारा रोका जा सकें और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सकें कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

4–अतिरिक्त भार ऐसी प्रक्षेपण संबन्धी संरचनाएँ जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवा युक्त के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हो या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिये सक्षम होंगी, किन्तु किसी भी दशा मे कल्पित रूप से भार डालने के बिर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रिय क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रिय भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संगठक जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगायी जाये इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

च–शामियाना विज्ञापन पट्टिका–

1–सामग्री–शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से 2–निर्मित होगी।

2–ऊँचाई–ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की
पट्टी से नीचे और न पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।

3–लम्बाई–शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है। किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना को छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

छः–आकाश विज्ञापन पट्टिका–

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबन्धी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न हो। एवं विमानन एवं पत्तन के नियमों का पालन हो ।

ज–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ, सचल सर्कल विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट–

1–प्रकार–1.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी–

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उसके मध्य गयी हो। बीच पेंट की या लगायी गई हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी वेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, वेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या सामान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएँ नहीं है।

,(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये गये या प्रयोग किये जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाए जो किसी ब्रासप्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर या 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो।

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका ।

2–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता–

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल, सर्कल और मेला चिन्ह और पट्टिकाएँ सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबन्धित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाये या क्षतिग्रस्त हो जाये यथाशीघ्र और किसी भी दशा में परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाये, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) अधिशासी अधिकारी किसी अस्थायी विज्ञापन पंट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका–पोल विज्ञापन पंट्टिकाएँ पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ स्ट्रीट लाईट के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हो।

(पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएँ– किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ और झण्डियाँ जो कपड़े या ज्वलशील पदार्थ से निर्मित हों, सृदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलम्ब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाये या क्षतिग्रस्त हो जाये उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटाकाये जाने के लिए अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाई जा सकती है।

(छ) अधिकतम आकार अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) प्रक्षेपण–कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसा चिन्ह पट्टिकाएँ बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है

या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमति–भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झाण्डयाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़े अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर पालिका पंचायत द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिये प्रयोग में लाया जायेगा, जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी–मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबन्धित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जायेगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

17– सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएँ–

(1) भार–विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1 राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आधी, डेड से इस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के भाग–8, भवन सेवायें, खण्ड–2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाईन और स्थान–

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पद यात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्निशमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रुकावट नहीं आनी चाहिये।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रुकावट नहीं आनी चाहिये।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिये। भू-दृश्य अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाये।

(घ) अनावश्यक खम्भों को कम करने और विज्ञापन पटिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिये पट्टिकायें लाईटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिये।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकायें स्वाभाविक सभा–स्थलों पर लगायी जानी चाहिये और उन्हे दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(च) जहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जित किया जाना चाहिये।

(छ) विज्ञापन पट्टिकायें इस प्रकार लगायी जानी चाहिये जिससे कि सामने से और पीछे से पद यात्रियों का आवागमन सम्भव हो सके।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिये पठनीय बनाने के लिये विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियाँ लगायी जानी चाहिये या उभरे हुये अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जानी चाहिये।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग

(एक) सजावटी विशिष्टता–ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिये जहाँ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक के अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक–विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिये और विद्युत लाईटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिये और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के विकास के साथ संस्थापित होनी चाहिये ।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण–जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटायी जाये वह कार्य अधिशासी अधिकारी की नोटिस या उसके आदेश के कारण या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति अधिशासी अधिकारी के संतोषप्रद रूप से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह फुटपाथ यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को नगर पंचायत द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिये।

(6) यातायात रोटरी क्लब और आईलैण्ड्–अधिशासी अधिकारी अभिकरण को यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी, यातायात प्रभारी) के परामर्श से अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन के अनुसार यातायात रोटरी क्लबों व आईलैण्डों के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। सम्प्रदर्शन पट्ट का आकार यातायात रोटरी क्लब आईलैण्ड के स्थान और आकार और यातायात की गति पर निर्भर करेगा। किन्तु सम्प्रदर्शन की ऊँचाई रोटरी क्लब आईलैण्ड की ऊँचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(7) मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ–अधिशासी अधिकारी अभिकरण को मैदान पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने व उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को अधिशासी अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम उत्पाद को सम्प्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिये अधिशासी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने और अधिशासी अधिकारी के सन्तोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेंट करने के लिये आबद्धकर होगा।

(8) वृक्ष रक्षक (ट्री–गार्ड) अधिशासी अधिकारी अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को अधिशासी अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

(9) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स–अधिशासी अधिकारी किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 • 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दो और संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उधर्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिये। परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजन के दिशा के समानान्तर) में रखा जायेगा।

18–छूट–

(1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी।

(एक) यदि किसी कार्यालय दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो। दुकान स्वामी द्वारा स्वयं का नाम, दुकान का नाम इत्यादि।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन सम्प्रदर्शित सभी नोटिसें, परन्तु उनकी माप 0.60 मीटर 0.60 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जायें किन्तु उसमें भवन या प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या करोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबन्धित हो, परन्तु यह 1.2 मीटर से अधिक न हो। विज्ञापन पट्टों के लिये, किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

2–दीवार विज्ञापन पट्ट–नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(एक) भण्डारण विज्ञापन पट्टदृश्य किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या प्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचें और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

(दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट–किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(तीन) नाम पट्ट–किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

3–भू–विज्ञापन पट्ट–नीचे सूचीबद्ध भू-विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(एक) यात्रा मार्ग निर्देश–किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रख-रखाव, जो यात्रा मार्ग लाईन के स्थान, किसी रेलमार्ग, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहन को निर्दिष्ट करते हों जब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हो।

(दो) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट–सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय है। यद्यपि वे नियम–13 के उपनियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुक्त रूप से अनुरूप हो।

4 –अस्थाई विज्ञापन पट्ट–

(एक) निर्माण स्थल संकेत–निर्माण संकेत इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान (अनुसूची–3 देखें) के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) विशेष प्रदर्शन संकेत–अवकोशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रर्दशन जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो परन्तु या कि अधिशासी अधिकारी किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तदायी नहीं है (नियम–15झ (2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिये आवश्यकता देखिए।

5–नियम–3 में दिये गये विज्ञापन पट्टों की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

18– विशेष विज्ञापन–

(1) यदि अनुसूची–1, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है, तो अधिशासी अधिकारी उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर जिसे वह उचित समझे, कर शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, या लटाकने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विद्यमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर अवधि के लिये हो तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19–विशेष नियन्त्रण का क्षेत्र–

(1) जब कभी अधिशासी अधिकारी की राय में इस नियमावली में निर्बन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात–विज्ञापन युक्ति से नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाये। अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के अधिकारी को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होंगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे। साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि "ज्वैलर्स'' ''कैफे'' ''डांसिंग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियन्त्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उपनियम (3) में दिये गये, के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

20–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–

नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्ही क्षेत्र या किन्ही क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन, लगाना चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करे।

21–झण्डियों पर रोक–

(1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) अधिशासी अधिकारी इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे विनिष्ट कर सकता है।

22–अनुरक्षण और निरीक्षण–

(1) अनुरक्षण–सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बंधनी रास्ता और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था–प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छोड़ें गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण–प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

23–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–

अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई नगर पंचायत अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज पर्यवेक्षण माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है।

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) सदैव समुचित ध्यान दिया जायेगा जिससे कि ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं से स्पर्धा किया जा सके, जिसके लिये प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं के लिये प्रवेश दिया जाये।

24–कर/शुल्क भुगतान की रीति–

अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर शुल्क एकल किश्त में संदेह होगा, जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

25– क्षेत्रों का वर्गीकरण–

विज्ञापनों पर कर/शुल्क के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर के वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा।

(एक) सर्वोचित वर्ग

(दो) 'क' वर्ग

(तीन) 'ख' वर्ग

(चार) 'ग' वर्ग

26– हटाये जाने की लागत–

नियम–12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी–

(क) 6.1 मीटर • 3.05 मीटर या उससे कम के किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के रु0 5,000.00 हटाने की लागत।

(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन रु0 8,000.00 एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत।

(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत 2,000.00 ।

(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत रु0 10,000.00 ।

27–अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन

(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन, ऐसे जुर्मानें से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन के दोष सिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा. ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि

वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची–1

नियम–26 देखें

1–विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर शुल्क की दरें–

- नगर पंचायत सीमान्तर्गत 50 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट रु0 500.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- नगर पंचायत सीमान्तर्गत 50 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट पर रु0 450.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशयुक्त क्रमांक–1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

2–विद्युत तथा अन्य खम्बों पर विज्ञापन पट्ट की दरें–

- नगर पंचायत सीमान्तर्गत विद्युत खम्बों पर लगाये गये विज्ञापन पट्ट की माप 30'' 40'' से अधिक नहीं होगी।
- नगर पंचायत सीमान्तर्गत 50 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन–पट्ट पर रु0 500.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- नगर पंचायत सीमान्तर्गत 50 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट पर रु0 450.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष।
- यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशयुक्त द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो क्रमांक–1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

3– यूनिपोल विज्ञापन की दरें–

- नगर पंचायत सीमान्तर्गत 50 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर विज्ञापन पट्ट पर रु० 500.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष नगर पंचायत सीमान्तर्गत 50 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थापित विज्ञापन पट्ट पर रु0 450.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष।
- यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश युक्त द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो क्रमांक–1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

4–शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन कर (व्यावसायिक विज्ञापन वाहन)

- हल्का वाहन रु० 500.00 प्रतिवर्ष प्रति वाहन।
- भारी वाहन रु0 1,000.00 प्रतिवर्ष प्रति वाहन।

5–दुकान स्वामियों द्वारा अपना स्वयं का नाम (व्यावसायिक प्रकार को छोड़कर) का बोर्ड लगाने पर कोई विज्ञापन कर देय नहीं होगा। दुकान स्वामियों द्वारा दुकान प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक विज्ञापन पट्ट लगाने पर रु0 100.00 स्क्वायर बोर्ड पर. फुट सामान्य रु0 150.00 स्क्वायर फुट प्रकाशमान बोर्ड पर देय होगा।

हज्जन हंसार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत डासना, गाजियाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम बबिता कटियार, कु0 बबिता कुमारी कटियार एवं कुछ अभिलेखों में कु0 बबिता कटियार अंकित है। तीनों एक ही महिला के नाम है। भविष्य में मुझे बबिता कटियार के नाम से ही जाना पहचाना जाये।

बबिता कटियार (BABITA KATIYAR),
पुत्री प्रेमलाल, पता-जी-1/552, अर्मापुर इस्टेट,
जिला-कानपुर नगर-208009

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम उमाशंकर सोनी एवं कुछ अभिलेखों में उमाशंकर अंकित है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। भविष्य में मुझे उमाशंकर सोनी के नाम से ही जाना पहचाना जाये।

उमाशंकर सोनी (UMASHANKAR SONI),
पुत्र विश्वेश्वर प्रसाद,
पता-टी-10, मयूर इन्क्लेव-1 909-बी ब्लाक,
एम0आई0जी0 रोड़, पनकी,
जिला-कानपुर नगर-208020

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जेड0एन0 इन्टर प्राईजेज जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 AL-3135 जो दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 को निबंधक फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स में रजिस्टर्ड है में दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को पार्टनर सं0 3 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान मो0 अदी खुशतार शामिल हुये हैं तथा पार्टनर नं0 4 समीम अहमद दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को स्वेच्छा से अलग हो गये हैं उनके स्थान पर मारिया सिद्दीकी शामिल हो गयी हैं। उपरोक्त दोनों लोगों का अब इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

नजर महमूद पुत्र एम0ए0 सिद्दीकी,
निवासी बमरौली, तह0 सदर,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भारत इण्टरप्राईजेज, 4 किमी0 स्टोन, रूड़की रोड़, अपोजिट ए0आई0यू0 मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन कार्यालय निबंधक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर से दिनांक 30 मई, 2016 को हुआ था। फर्म में रजिस्ट्रेशन के समय हारून खलील व फहीम अहमद पार्टनर थे। दिनांक 07 जून, 2021 की डीड के अनुसार फर्म में पार्टनर फहीम अहमद की दिनांक 06 मई, 2021 को मृत्यु हो गयी है तथा फर्म में फलक नाज व अब्दुल्ला नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये है। इस प्रकार अब वर्तमान में फर्म में फलक नाज, हारून खलील व अब्दुल्ला पार्टनर है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त आशय का गजट प्रकाशित करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

हारून खलील,
पार्टनर,
पुत्र श्री असलम महमूद शमसीत,
निवासी 786/35 रहमत नगर, मुजफ्फरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एस0वी0 इन्फोटेक, मेरठ की साझीदारीनामा दिनांक 22 सितम्बर, 2016 के अनुसार अशोक कुमार गुप्ता, अमरीश कुमार गुप्ता थे। पार्टनरशीप डीड दिनांक 22 सितम्बर, 2016 के अनुसार श्रीमती कुसुम गुप्ता एवं श्री विभोर अग्रवाल नवीन साझीदार की हैसियत से सम्मलित हुये है व साझीदार– श्री अमरीश कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त हुये है फर्म का पता परिवर्तित कर ए-4, सेक्टर-3, सुशांत सिटी, मेरठ कर दिया गया है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 के अनुसार साझीदारों का पता ए-4, सेक्टर-3, सुशांत सिटी, मेरठ किया गया है।

अशोक कुमार गुप्ता,
साझीदार।

सूचना

फर्म मैसर्स शान्ती इलेक्ट्रिकल्स, टाउन व पोस्ट लाल सराय, फर्रूखाबाद में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 विनोद कुमार गुप्ता, नि0 लाल सराय, फर्रूखाबाद रिटायर्ड हो गयी है तथा श्री निखिल गुप्ता पुत्र स्व0 विनोद कुमार गुप्ता, नि0 लाल सराय, फर्रूखाबाद सम्मिलित हो गये है।

निखिल गुप्ता,
पार्टनर,
मैसर्स शान्ती इलेक्ट्रिकल्स,
टाउन व पोस्ट लाल सराय, फर्रूखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स सूर्या होम्स इन्फ्राटेक, ए0डी0एम0 काम्पलैक्स, सैकिण्ड फ्लोर, मैन दादरी रोड, सैक्टर-49, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201301 की साझीदारी में श्री धर्मेन्द्र चौहान एवं श्री सचिन चौहान साझीदार थे। दिनांक 01 सितम्बर, 2021 को श्री सत्यपाल यादव एवं श्री राहुल यादव फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये है तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2021 को श्री धर्मेन्द्र चौहान एवं श्री सचिन चौहान फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये है। दिनांक 13 सितम्बर, 2021 की संशोधित डीड के अनुसार श्री सत्यपाल यादव एवं श्री राहुल यादव साझीदार है। संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार वर्तमान में श्री सत्यपाल यादव एवं श्री राहुल यादव साझीदार है तथा फर्म का शाखा कार्यालय 87ए, ब्लाक-ए-3, सेक्टर-71, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201301 है। यह घोषणा

करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सत्यपाल यादव,
साझीदार,
मैसर्स सूर्या होम्स इन्फ्राटेक,
ए0डी0एम0 काम्पलैक्स, सैकिण्ड फ्लोर,
मैन दादरी रोड, सैक्टर-49, नोएडा,
जिला गौतमबुद्धनगर-201301

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एच0आर0 सॉल्युशन्स बी-209 मेंहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, प्रयागराज में साझेदार अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री हरी कुमार सिंह, निवासी आर-14/2, राजनगर, गाजियाबाद तथा श्री हरी शंकर सिंह पुत्र स्व0 अम्बा बहादुर सिंह, निवासी बी-209 मेंहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, प्रयागराज थे। जिसमें हरी शंकर सिंह का आकस्मिक निधन दिनांक 08 मई, 2021 को हो गया है एवं साझेदार मीनाक्षी सिंह पत्नी श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी फ्लैट नं0 1603, टावर-बी 5, चेरी काउन्टी, जी0एच0 5बी टेक जोने-4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्ध नगर, दिनांक 09 मई, 2021 को फर्म में सम्मिलित हुई है। फर्म का पता बी-209 मेंहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, प्रयागराज से परिवर्तित होकर ए-337, सेक्टर 69, गौतमबुद्ध नगर हो गया है।

अशोक कुमार सिंह,
साझीदार,
मैसर्स एच0आर0 सॉल्युशन्स,
पुराना पता-बी-209 मेंहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, प्रयागराज,
नया पता–ए-337, सेक्टर 69, गौतमबुद्ध नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स माँ भवानी कन्स्ट्रक्शन्स 437/189, नेवादा कालोनी, अशोक नगर, प्रयागराज में साझेदार श्री अम्बुज अग्रवाल पुत्र श्री राजीव गुप्ता, निवासी 437/189, नेवादा कालोनी, अशोक नगर, प्रयागराज एवं श्रीमती नूपुर गुप्ता पत्नी श्री नितिन गुप्ता, निवासी 182 आर0ए0 बाजार, न्यू कैन्ट, प्रयागराज थे। जिसमें अम्बुज अग्रवाल फर्म से दिनांक 10 सितम्बर, 2021 को फर्म से रिटायर हो गये है तथा श्री भगवान कुमार पुत्र श्री यज्ञ नारायण कुमार, निवासी वार नं0 09 डुमरी, बक्सर बिहार एवं श्री जग रोशन सिंह पुत्र श्री लाल साहब सिंह, निवासी शिवपुर दियार नम्बरी, बलिया फर्म में दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को सम्मिलित हुये है।

नूपुर गुप्ता,
साझेदार,
मैसर्स माँ भवानी कन्स्ट्रक्शन्स, 437/189,
नेवादा कालोनी, अशोक नगर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मैसर्स संगम सर्विस स्टेशन, जवाहर लाल नेहरू रोड, प्रयागराज दिनांक 12 सितम्बर, 2021 को विघटित कर दी गई है। फर्म में प्रथम पार्टनर शकुन्तला त्रिपाठी पत्नी स्व0 सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, निवासी 344/255, चौखण्डी, कीड़गंज, प्रयागराज तथा द्वितीय पार्टनर श्री सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री आनन्द शंकर पाण्डेय, निवासी 271/200, एस0एफ0 12 बन्द रोड, मंगल मूर्ति कुंज, एलनगंज, प्रयागराज थे। फर्म में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की लेनदारी व देनदारी नहीं है। उक्त फर्म के साझेदारों को उक्त विघटन में कोई आपत्ति नहीं है।

शकुन्तला त्रिपाठी,
पत्नी स्व0 सुभाष चन्द्र त्रिपाठी,
साझीदार,
मैसर्स संगम सर्विस स्टेशन,
जवाहर लाल नेहरू रोड, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–38 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।